

सेवा में,

निदेशक

शहरी स्थानीय निकाय

हरियाणा, पंचकूला

विषय: नगर निगम की दुकान न: 68ए वाला शिवाजी मार्किट प्यारा चौक की खरीदने बारे (आवेदन संख्या SSH / YAMU /267) उपरोक्त विषय बारे आपको अवगत करवाया जाता है कि मेरे द्वारा मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के तहत दुकान न: 68 ए शिवाजी मार्किट के खरीदने बारे आवेदन SSH / YAMO /267 दिनांक 24/09/2021 को किया गया था। जिस पर नगर निगम ऑफिस द्वारा कार्यवाही करते हुए कार्यवाही के पत्र क्रमांक 7085। किराया शाखा। य.नगर दिनांक 24/2/2022 को मुझे 598080/- ₹ जमा करवाने बारे नोटिस दिया गया था, जिसकी पालना में मेरे द्वारा दिनांक 22/3/22 को 149520/- ₹ तथा दिनांक 25/5/22 को 448560/- ₹ जमा करवा दिए गए थे। इसके पश्चात 1 वर्ष के बाद दिनांक 4/5/23 को मेरे दुकान खरीदने के आवेदन को नगर निगम कार्यालय द्वारा यह कह कर रद्द कर दिया गया है कि आपकी दुकान सीढ़ियों के नीचे हैं। जो कि सीढ़ियों की जगह आम रास्ता है। उक्त दुकान मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के अंतर्गत नहीं आती है।

यहाँ यह भी अवगत करवाया जाता है कि नगर निगम कार्यालय द्वारा शिवाजी मार्किट में 1st floor पर भी दुकानों को बेचा गया है। उनमें से एक दुकान न: 71 जो कि सीढ़ियों के ऊपर है। और आम रास्ते में है। कि भी रजिस्ट्री हो चुकी है। जो दुकाने बेची गई हैं। उनके आगे का रास्ता आम रास्ता कह कर ना बेचा गया है। जबकि मेरे आवेदन को आम रास्ता कह कर रद्द कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त यह भी बताया गया है कि मेरी दुकान के साथ सीढ़िया जाती है। जो कि पहली मंजिल पर पहुंचने पर केवल 4 सीढ़ियों दुकान के ऊपर पड़ती है। जो कि पहली मंजिल के बरामदे के सामान ही एक आम रास्ता है।

इसलिए आपसे निवेदन है कि नगर निगम कार्यालय द्वारा गलत ढंग से रद्द किए गए मेरे आवेदन को सही करवाया जाए तथा मुझे यह दुकान खरीदने के अवसर से वंचित न रखा जाए, मेरे द्वारा उक्त दुकान खरीदने की पूरी राशि भी जमा करवाई जा चुकी है। आपकी अति कृपा होगी।

सलंगन, दस्तावेज

- 1). आवेदन पत्र
- 2). किराया दुकान के पत्र
- 3). नोटिस की प्रतियाँ
- 4). जमा कराई गई रसीद
- 5). आवेदन रद्द की प्रतियाँ

प्रार्थी

अमित बतरा पुत्र श्री
जनक राज बतरा
निवासी मकान न: 686,
मौ न: - 9671794113